तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
18/5/20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है/पदरिक्त है~~ अतः पत्रावली दिनांक 20/7/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर उपखण्ड अधिकारी करेडा
20/7/20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है/पदरिक्त है~~ अतः पत्रावली दिनांक 21/9/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर उपखण्ड अधिकारी करेडा
21/9/20	पत्रावली पेश हुई अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 23/11/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
23/11/20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय चुनाव कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है/पदरिक्त है~~ अतः पत्रावली दिनांक 22/12/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर उपखण्ड अधिकारी करेडा
22/12/20	पत्रावली पेश हुई अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 18/01/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील अभियोगी एवं वकील सं. 3 व 7 उपस्थित। प्रार्थीगण के प्रत्यर्थी [illegible] 3 व 7 की ओर से कोई [illegible] पेश नहीं किये जाने से [illegible] जाता है। [illegible] 3 अप्रार्थी [illegible] की बहस सुनी गई। वकील अभियोगी (हस्ताक्षर) उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 11:21:44 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(1) सुवालाल कुमावत [illegible]) मति सार कुमावत ने बहस के दौरान तर्क दिया कि ग्राम बरेडा की खाता सं० 1994 में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सं० 1 से 9 की संयुक्त खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आ० नं० 7836 रकबा 16बीघा07 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा और विपक्षीगण सं० 1 से 9 का भी 1/2 हक हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। हंजा व भामी पुत्रियां देवा कुमावत द्वारा अपना संपूर्ण हक हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में हक त्याग कर दिया जाने से पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के संयुक्त खाते में रहने से इस भूमि में फसल कास्त करने, भूमि विकसित करने में भारी कठिनाई आती है। खातेदारान के मध्य विवाद बना रहता है जिससे इस भूमि का मौके पर बाउण्डस से विभाजन कराया जाकर प्रार्थीगण के हक हिस्से अनुसार खाते व लगान अलग-अलग कराया जाना आवश्यक है। विपक्षीगण उक्त अविभाजित आराजी को अपनी मन मर्जी मालिक खुद बन कर अंतरित एवं मौके पर करने पर आमादा है। प्रार्थीगण को हमेशा कब्जा कास्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है [illegible] है। विपक्षीगण का [illegible] भी विधि से [illegible] आवश्यक है। [illegible] मामला है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षीगण को ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 11:21:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी [illegible]
सहायक कलक्टर [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से पाबंद नही किया गया तो वे उक्त वादग्रस्त अविभाजित आराजी से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर बेदखल कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति की जाना संभव नही है। अतः प्रार्थीगण का कथनानुसार स्वीकार फरमाया जाकर तासैसला वाद विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे ग्राम करेड़ा तहसील करेड़ा में स्थित खाता सं० 1994 में अंकित आराजी नं० 7836 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा भूमि की मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें उक्त भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण को बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रकरण में विपक्षी सं० 3 व 9 के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का विरोध किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी को तासैसला वाद [illegible] मौके में यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण [illegible] जाता है। पत्रावली [illegible] समर्थ मा[illegible] होकर मूल नंबर से दर्ज हो। पत्रावली मुलवाद की पत्रावली के साथ संलग्न हो निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 11:21:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा